

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 64ए/2014 इ०दी०

संस्थित दिनांक 23.02.2011

कमला देवी उम्र 36 वर्ष पत्नी स्व. इन्दलसिंह  
निवासी ग्राम पुर तहसील व जिला भिण्ड म०प्र०

वादिया

बनाम

1. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी विष्णुदत्त शुक्ला, उम्र 32 वर्ष निवासी शुक्लपुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड म०प्र०
2. निर्मलचन्द्र जैन उम्र 67 वर्ष पुत्र फुलजारी लाल जैन निवासी निराला रंग बिहार के पीछे महावीर गंज भिण्ड म०प्र०
3. महादेवी पत्नी मानसिंह उम्र 62 वर्ष
4. मानसिंह पुत्र परसोले उम्र 67 वर्ष निवासीगण ग्राम पुर तहसील व जिला भिण्ड म०प्र०

प्रतिवादीगण

5. म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड

तरतीवी प्रतिवादी

वादिया द्वारा श्री एस०एस०श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 4 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 5 एक पक्षीय।

// निर्णय //

(आज दिनांक 12-07-2016 को घोषित किया गया)

01. वादिया की ओर से वर्तमान व्यवहारवाद ग्राम मुडियाखेरा तहसील व जिला भिण्ड के आराजी क्रमांक 496 रकवा 0.49 में  $6\frac{1}{2}$  आरे संबंध में स्वत्व घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व बिक्रयपत्र दिनांक 05.01.2007 और उसके अनुसार दिनांक 12.01.2008 को निष्पादित पंजीकृत बिक्रयपत्र नल एण्ड बॉइड घोषित किये जाने और प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा तथा अन्य सहायता दिलाए जाने वाबत् पेश किया गया है।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि विवादित भूमि ग्राम मुडिया खेरा, तहसील व जिला भिण्ड में स्थित है जिसका कि पूर्व में क्रमांक 532/2 रकवा 0.502 आरे था जो कि बंदोबस्त के बाद 496 रकवा 0.49 हो गया और यह भी अविवादित है कि उक्त नम्बर में से  $6\frac{1}{2}$  आरे इंदलसिंह के द्वारा क्रय की गई थी।

03. वादिया की ओर से पेश दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मुडियाखेरा तहसील व जिला भिण्ड के आराजी क्रं0 496 रकवा 0.49 में  $6\frac{1}{2}$  आरे की भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी वादिया है (जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा)। विवादित भूमि का पूर्व भूमि क्रं. 532/2 रकवा 0.502 रहा, किन्तु बन्दोबस्त के बाद नवीन नम्बर 496 रकवा 0.49 बना है। वादग्रस्त भूखण्ड वादिया के पति इन्दलसिंह द्वारा विधिवत् रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय किया गया था। वादिया की शादी विधिवत् हिन्दू रीति रिवाज के मुताबिक इन्दलसिंह के साथ दिनांक 6-6-91 को ग्राम जमसारा से सम्पन्न हुई और विवाह के उपरान्त दोनों पति पत्नी के रूप में रहे। इन्दलसिंह को मस्तिष्क ज्वर हो जाने से उसकी मृत्यु दिनांक 10-10-92 को ग्राम पुर में हो गई। प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 उसकी सम्पत्ति को हड़पने की नियत से वादिया को इंदलसिंह की पत्नी होने से इन्कार करने लग गए, जबकि वादिया इंदलसिंह की पत्नी है और उसका नाम इंदलसिंह की पत्नी के रूप में राजस्व कागजातों में तथा अन्य दस्तावेजों में अंकित है। इस प्रकार इंदलसिंह की पत्नी होने के नाते उसकी मृत्यु के बाद वह उसकी एक मात्र वादिया ही रही और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति एक मात्र उसे प्राप्त हुई। वादिया के पति की मृत्यु के बाद प्रति0कं0 3 व 4 के द्वारा बिना किसी अधिकार के ग्राम पंचायत मुडियाखेरा से अपना नामान्तरण कराया। उपरोक्त संबंध में जानकारी होने पर वादिया के द्वारा अपील पेश की गई जो कि नामान्तरण आदेश निरस्त किये जाने का आदेश राजस्व न्यायालय के द्वारा किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के द्वारा नामान्तरण हेतु तहसीलदार के समक्ष धारा 109, 110 भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदनपत्र पेश किया गया, जिसमें कि वादिया को सूचना दिए बिना आदेश पारित कर दिया गया जो कि उक्त आदेश के संबंध में राजस्व न्यायालय में वादिया के द्वारा अपील करने पर नामान्तरण को अपास्त किये जाने का आदेश दिया गया है।

04. वादिया के द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 की इच्छा हमेशा वादिया को परेशान करने की रही है और उसे पति की मृत्यु निरंतर मुकद्दमेवाजी में उलझाए रखा है। उनके द्वारा बिना किसी स्वत्व व आधिपत्य के प्रतिवादी क्रमांक 2 के हक में वयनामा दिनांक 05.01.2007 को निष्पादित करा दिया गया, जबकि वयनामा निष्पादित करने का प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 2 को यह जानकारी थी कि प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के नामांतरण के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही चल रही है। इस दौरान प्रतिवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 12.11.2008 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में बिक्रयपत्र निष्पादित करा लिया। इस प्रकार उक्त बिक्रयपत्रों को निष्पादित करते समय बिक्रेतागण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं थे और न ही उनका उस पर कोई आधिपत्य था, न्यायालय में चल रही कार्यवाही के दौरान बिक्रयपत्र निष्पादित किये गए हैं, इस परिप्रेक्ष्य में उक्त बिक्रयपत्रों के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को अथवा प्रतिवादी क्रमांक 2 को कोई स्वत्व आधिपत्य प्राप्त नहीं होते हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादिया का ही आधिपत्य चला आ रहा है। उस पर किसी भी प्रतिवादी का कभी कोई आधिपत्य कभी नहीं रहा। प्रतिवादीगण को यह जानकारी होने पर कि वादग्रस्त भूमि पर उनका नामांतरण का आदेश निरस्त हो चुका है जबरदस्ती वाहुवल के आधार पर वादिया को वेदखल करने हेतु दिनांक 25.12.2010 को जबरदस्ती वेदखल करने की धमकी दी गई। दावे का मूल्यांकन कर उसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना बताते हुए वादग्रस्त भूमि पर स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किए जाने एवं बिक्रयपत्र दिनांक 05.01.2007 एवं 12.11.2008 को वादिया के स्वत्व के विपरीत होने से नल एवं वॉइड घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं अन्य सहायता बावत् दावा पेश किया गया है।

05. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के द्वारा अपने जबाब में स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त वादिया के वादपत्र के अभिकथनों को इन्कार करते हुए यह बताया है कि वादिया इंदलसिंह की पत्नी नहीं है, बल्कि उसके पति का नाम चन्द्रपालसिंह है और उसका विवाह चन्द्रपालसिंह के साथ हुआ था। वादिया के द्वारा इंदलसिंह की पत्नी बनकर बोटरलिस्ट और राशनकार्ड में अपना नाम लिखा लिया गया है तो वह साजिश पूर्वक उसके द्वारा किया गया है। इंदलसिंह की माँ जीवित है उसके मौजूद होते वादिया उसकी एक मात्र वारिस भी नहीं हो सकती है। प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा विधिवत प्रतिवादी क्रमांक 1 को बिक्रयपत्र निष्पादित कर प्रतिवादी क्रमांक 1 से जमीन क्रय कर उसे स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त किया गया है और प्रतिवादी क्रमांक 1 का उस पर नामांतरण भी हो चुका है। विवादित भूमि पर वादिया का किसी प्रकार से कोई स्वामित्व व आधिपत्य निहित नहीं है, उस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का मौके पर वास्तविक रूप से कब्जा है। उक्त भूमि बिक्रय करने के संबंध में किसी न्यायालय से कोई

स्थगन भी नहीं था। नामांतरण की कार्यवाही भी विधिवत रूप से होने से उसने वादिया को किसी प्रकार से कोई धमकी कभी नहीं दी और न ही जबरदस्ती कोई आधिपत्य प्राप्त किया गया। दावे का मूल्यांकन भी उचित रूप से नहीं किया गया है। वादिया का दावा मात्र षोषणात्मक दावा प्रचलन योग्य नहीं है उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 ने भी अपने जबाब में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादिया के वादपत्र के अभिवचनों को इन्कार करते हुए विवादित भूमि पर वादिया का किसी प्रकार से स्वत्व व आधिपत्य निहित होने से इन्कार किया है और उनके द्वारा भी वादिया को पति इंदलसिंह होने से अथवा इंदलसिंह से उसकी कोई शादी होने से इन्कार किया है, बल्कि यह अभिकथन किया है कि उसकी शादी चन्द्रपाल से हुई थी। इंदलसिंह की माँ जीवित है उसके उपरांत भी वादिया अपने को मात्र एक वैधानिक वारिस गलत रूप से बता रही है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी के नामांतरण की जानकारी वादिया को प्रारंभ से ही है और नामांतरण की कार्यवाही पक्षकारों को विधिवत सूचना देकर ही की गई है तथा नामांतरण की कार्यवाही विधिवत सम्पन्न हुई है। नामांतरण के संबंध में कार्यवाही की अपील राजस्व मण्डल में संचालित है। वादिया को कोई वाद कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है। विवादित भूमि पर विधिवत नामांतरण के आधार पर प्रतिवाद क्रमांक 2 का स्वत्व एवं आधिपत्य रहा है जिसने कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में उसे बिक्रय कर दिया है और वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 1 का ही उस पर आधिपत्य है, वादिया का उस पर किसी प्रकार से आधिपत्य नहीं है। वादिया के द्वारा गलत आधारों पर दावा पेश किया गया है व दावे का मूल्यांकन उचित रूप से नहीं किया गया है और न ही उचित न्यायशुल्क अदा किया गया है। ऐसी दशा में वादिया का दावा स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. वादी एवं प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर निम्न वादप्रश्नों की रचना की गई जिनके समक्ष मेरे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष लेखबद्ध है—

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादिनी वादग्रस्त भूमि खसरा न. 496 रकवा 0.49 हे. में 0.6½ आरे (पुराना खसरा न. 532/2 रकवा 0.502 हे०) की भूमि स्वामी है?	
2	क्या वादिनी इन्दलसिंह की पत्नी है?	



3	क्या वादग्रस्त भूमि वादिनी के आधिपत्य में है?	
4	क्या आधिपत्य के अनुतोष के बिना केवल स्वत्व घोषणा का वाद अप्रचलनीय है?	
5	क्या वादिनी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन करते हुए उचित न्यायाशुल्क अदा किया गया है?	
6	क्या दिनांक 05.01.2007 एवं 12.11.2008 का पंजीकृत बिक्रयपत्र शून्य एवं प्रभावहीन है?	
7	क्या वादिनी, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है?	
8	अनुतोष एवं वाद व्यय?	

**—: सकारण निष्कर्ष :—**

**वादप्रश्न क्रमांक 5:—**

08. प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जबाब में यह आधार लिया गया है कि वादिया के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के हक में हुआ बिक्रयपत्र के मूल्य के अनुसार दावे का मूल्यांकन नहीं किया है, जबकि उसके अनुसार दावे का मूल्यांकन होना चाहिए था। ऐसी दशा में जबकि बिक्रयपत्र के मूल्य के अनुसार मूल्यांकन कर न्यायशुल्क चशपा नहीं किया गया है और स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में भी मूल्यांकन उचित रूप से नहीं किया गया है। वादिया का वर्तमान दावा प्रचलन योग्य नहीं है।

09. उपरोक्त संबंध में वादिया के द्वारा विवादित भूखण्ड के संबंध में बिक्रयपत्र जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में 80,500/— रूपए में निष्पादित किया है उस पर स्वत्व की घोषणा हेतु मूल्यांकन करते हुए एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 500/— रूपए दावे का मूल्यांकन किया गया है। स्वत्व घोषणा 2000/— रूपए तथा स्थाई निषेधाज्ञा के 100/— रूपए कुल 2100/— रूपए न्यायशुल्क अदा किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान वादिया जिसने कि बिक्रयपत्र दिनांक 05.01.2007 जो कि प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया था और उसी के अनुसार बिक्रयपत्र दिनांक 12.11.2008 जो कि प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया है, उसके स्वत्व के मुकाबले नल एण्ड बॉइड घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता बावत् पेश किया गया है। वादिया उपरोक्त बिक्रयपत्र की पक्षकार नहीं है और उसके द्वारा बिना अधिकार के उपरोक्त बिक्रयपत्र प्रतिवादीगण केद्वारा निष्पादित करना जो कि उसकी स्थिति के विपरीत होने से उन्हें नल एण्ड बॉइड घोषित किये जाने बावत् पेश किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में वादिया को बिक्रयपत्र के मूल्य के अनुसार न्यायशुल्क अदा किये जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा बावत् निश्चित न्यायशुल्क उसे द्वारा अदा किया गया है। स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में वादी को अपना दावा के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में उसके द्वारा किया गया मूल्यांकन एवं अदा किया गया न्यायशुल्क उचित होना पाया जाता है। तदनुसार वादिया के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन करते हुए उचित न्यायाशुल्क अदा किया जाना पाया जाता है। वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर “हाँ” में दिया जाता है।

**बिन्दु क्रमांक 02 :—**

10. वादिया के द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि उसकी शादी विधिवत हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार इंदलसिंह के साथ दिनांक 06.09.1991 को ग्राम जमसारा में सम्पन्न हुई थी। विवाह के उपरांत वह इंदलसिंह की पत्नी के रूप में रही। इंदलसिंह को मस्तिष्क ज्वर हो जाने से उसकी मृत्यु दिनांक 10.10.1992 को ग्राम पुर में हो गई। वादिया मृतक इंदलसिंह की पत्नी है और इस नाते वह उसकी वारिस है। प्रतिवादी पक्ष ने वादिया को इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी होने से इन्कार किया है और यह अभिवचन किया है कि वादिया की शादी कभी भी इंदलसिंह के साथ नहीं हुई थी, बल्कि उसका विवाह चन्द्रपालसिंह के साथ हुआ था, इस कारण वह इंदलसिंह की पत्नी नहीं है और न ही उसका कोई उत्तराधिकार है।

11. इस प्रकार वादिया कमलादेवी उसे इंदलसिंह की पत्नी होना अभिकथित कर रही है, जबकि प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि वादिया इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी नहीं है, बल्कि वह चन्द्रपालसिंह की विवाहिता पत्नी है। इस संबंध में प्रमाणन भार का जहाँ तक प्रश्न है, उभय पक्षों के द्वारा इस बिन्दु पर साक्ष्य पेश किया गया है ऐसी दशा में इस बिन्दु के संबंध में प्रमाणन का भार जो यद्यपि प्रारंभिक रूप से वादिया पर है, किन्तु उभय पक्षों के द्वारा लिए आधारों एवं प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना उचित है।

12. उपरोक्त संबंध में वादिया कमलाबाई वा0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि उसका विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार इंदलसिंह के साथ दिनांक 06.06.1991 को ग्राम जमसारा में सम्पन्न हुआ था, तब से दोनों पति पत्नी के रूप में रहते चले आए। उसके पति की मृत्यु दिनांक 10.10.1992 को ग्राम पुर में हो गई। मृत्यु के बाद वह उसकी एक मात्र वैधानिक उत्तराधिकारी है। पति की मृत्यु के बाद उसने उनके नाम की सम्पत्ति पर अपना नामांतरण कराया जो कि राजस्व अभिलेखों में उसका नाम इन्द्राज हुआ। इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी होने के कारण उसका नाम बोंटरकार्ड, राशनकार्ड एवं राजस्व प्रपत्रों में दर्ज हुआ है। दस्तावेजों के रूप में वादिया के द्वारा खसरा सम्बत् 2062-2065 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 3, खसरा पी2 - 2010, प्र.पी. 5, किस्तबंद खतौनी ग्राम मुडियाखेडा 2010-11 प्र.पी. 6, खसरा वर्ष 2010-2011 प्र.पी. 7, किस्तबंद खनोती 2010-11 ग्राम पुर प्र. पी. 8 उप जिला निर्वाचक अधिकारी जिला भिण्ड के द्वारा मानसिंह, महादेवी एवं आवेदिका कमलादेवी के संबंध में बोंटरकार्ड की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 11, 12, 13 इंदलसिंह पुत्र मानसिंह की मृत्यु का मूल प्रमाणपत्र प्र.पी. 14, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भिण्ड के यहाँ चले प्रकरण क्रमांक 89ए/1997 ई.दी. मानसिंह वि० महिला कमलादेवी आदेश दिनांक 02.12.2000 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 15 पेश की गई है। उक्त प्रकरण में उसे उपस्थिति बावत् जो समंस प्राप्त हुआ था उसकी सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 16 तथा सरपंच के द्वारा परिवार के सदस्यों के

संबंध में दिया गया विवरण भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण क्रमांक 89ए/1997 के वादपत्र की सत्यप्रतिलिपि वादिया के द्वारा पेश की गई है।

13. उक्त वादिया के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने वर्ष 2009-10 की मतदाता सूची प्रदर्श डी3 में अपना नाम कमलादेवी पत्नी इंदलसिंह के नाम से जुड़वा लिया था और इस सुझाव से इनकार किया है कि वह चन्द्रपाल की पत्नी है। इस बात को उसने स्वीकार किया है कि चन्द्रपाल उन इंदलसिंह के परिवार के ही हैं जिन्हें वह अपना पति कहती है और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि इंदलसिंह अविवाहित था और उसकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में ही हो गई थी और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह इंदलसिंह की पत्नी नहीं है। साक्षिया को कंडिका 28 में यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिवादी मानसिंह के द्वारा पूर्व में दावा इसलिए किया गया था कि उसके पुत्र इंदलसिंह कानाम गलत रूप से अपने पति के रूप में लिखाया था। साक्षी ने उक्त प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने अपने पति का नाम इंदलसिंह गलत नहीं लिखा था उसकी शादी हुई थी।

14. वादिया के कथन का समर्थन कि उसका विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार इंदलसिंह पुत्र मानसिंह के साथ सम्पन्न हुआ था की पुष्टि साक्षी प्रेमसिंह नरवरिया वा0सा0 2 जो कि वादिया का पिता है, के कथन से भी होती है। उक्त साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में उसकी पुत्री वादिया कमलादेवी का विवाह इंदलसिंह के साथ दिनांक 06.06.1991 को सम्पन्न होना तथा विवाह के उपरांत उसकी पुत्री इंदलसिंह की पत्नी के रूप में ग्राम पुर में निवास करना और इंदलसिंह की मृत्यु दिनांक 10.10.1992 में होना बताया है।

15. उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसकी पुत्री कमलादेवी का विवाह चन्द्रपालसिंह के साथ सम्पन्न हुआ था और इस सुझाव से इन्कार किया है कि इंदलसिंह अविवाहित था। उक्त साक्षी जो कि वादिया का पिता है और इस संबंध में सर्वोत्तम साक्षी है के प्रतिपरीक्षण उपरांत उपरोक्त बिन्दुओं पर पुत्री वादिया का विवाह इंदलसिंह पुत्र मानसिंह के साथ सम्पन्न हुआ था और वह इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी है के बिन्दु पर उसका कथन अखण्डनीय रहा है। उसके द्वारा इस संबंध में किए गए कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है। उक्त साक्षी विवादित भूमि को उसकी पुत्री के द्वारा हड़पने के उद्देश्य से उसे इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी होना अभिकथित कर रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार अथवा कारण परिलक्षित नहीं होता है।

16. इस संबंध में वादिया की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी नृपतिसिंह वा0सा0 3 भी वादिया का विवाह इंदलसिंह निवासी पुर के साथ होना मुख्य परीक्षण में बताया है। यद्यपि उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में कंडिका 2 में यह स्वीकार किया है कि कमला ग्राम पुर के



चन्द्रपालसिंह को ब्याही है। उक्त साक्षी को कहीं भी यह सुझाव प्रतिपरीक्षण में नहीं दिया है कि वादिया कमला इंदलसिंह के साथ नहीं ब्याही है। ऐसी दशा में साक्षी को दिए गए उक्त आकस्मिक सुझाव के आधार पर जबकि उक्त साक्षी न तो उनके विवाह के समय मौजूद होना दर्शित होता है और वह 25-30 किलो मीटर दूर दूसरे गांव का है। साक्षी की उक्त आकस्मिक स्वीकारोक्ति के आधार पर कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस बिन्दु पर प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्य पर विचार कर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

17. वादिया की ओर से प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों जिसमें खसरा एवं किस्तबंद खतोनी की सत्यप्रतिलिपि जो कि प्र.पी. 3 से लेकर प्र.पी. 8 तक के हैं से भी स्पष्ट है कि वादिया का नाम इंदलसिंह की विधवा पत्नी के रूप में उक्त राजस्व दस्तावेजों में ग्राम पुर एवं ग्राम मुडियाखेरा की भूमियों पर दर्ज है। उक्त निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्वाचन नामावलि की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 13 में भी कमलादेवी के पति का नाम इंदलसिंह दर्ज है जो कि प्र.पी. 11, 12 की निर्वाचन नामावलि की सत्यप्रतिलिपि प्रतिवादीगण मानसिंह और महादेवी के नाम पर दर्ज है जो कि एक ही क्रम में उनके नाम दर्ज है। इस संबंध में प्रतिवादी के द्वारा वादिया के प्रतिपरीक्षण में उसका नाम निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी सूची से निरस्त हो जाने के संबंध में प्र.डी. 1 के दस्तावेज दिखाते हुए सुझाव दिया गया है जिसे कि साक्षिया ने इन्कार किया है। इस संबंध में प्र.डी. 1 में कमलादेवी पत्नी इंदलसिंह का नाम निरस्त करने बावत् आदेश दिया गया है, किन्तु उक्त नाम निरस्त करने का आदेश उसके पति का सही नाम न होने के आधार पर निरस्त किए जाने की कार्यवाही की गई हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है और इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी नहीं थी। इस संबंध में प्र0डी0 3 जो कि वर्ष 2009-10 की निर्वाचन नामावलि की सत्यप्रतिलिपि है उसमें मानसिंह और महादेवी के साथ - साथ कमलादेवी पत्नी इंदलसिंह का भी क्रमांक 1180 में नाम दर्ज है। इस संबंध में प्रतिवादी अधिवक्ता ने व्यक्त किया कमलादेवी पत्नी चन्द्रपालसिंह का नाम भी क्रमांक 1199 में दर्ज है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त अनुसार नाम दर्ज है वादिया को इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी होने के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य का प्रतिखण्डन उसके आधार पर नहीं होता है।

18. प्रतिवादी मानसिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में बताया है कि वादिया कमलादेवी इंदलसिंह की पत्नी नहीं है, क्योंकि इंदलसिंह का विवाह ही नहीं हुआ था। वास्तव में वादी कमलादेवी उसके भाई शिवसिंह के दूसरे नम्बर के लडके चन्द्रपाल की विवाहिता पत्नी है। वह चन्द्रपाल के विवाह में ग्राम जमसारा प्रेमसिंह नरवरिया के यहाँ गया था। चन्द्रपाल एवं कमलादेवी से दो पुत्र एवं एक पुत्री संतान भी है।

उसकी सम्पत्ति हड़पने के उद्देश्य से कमलादेवी स्वयं उसके पुत्र की विधवा होना बता रही है, जबकि इंदलसिंह का विवाह ही नहीं हुआ था और कमलादेवी उसकी पत्नी नहीं है। इस बिन्दु पर अन्य प्रतिवादी साक्षी रामशरण दीक्षित प्र.सा. 3, विष्णूदत्त शुक्ला प्र.सा. 4, श्रीमती सुनीता प्र0सा0 5 एवं अशर्फीलाल प्र.सा. 6 के द्वारा भी अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में बताया गया है कि कमलादेवी इंदलसिंह की पत्नी नहीं है, बल्कि वह चन्द्रपालसिंह की पत्नी है।

19. उपरोक्त बिन्दु पर प्रतिवादी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षी मानसिंह जो कि इस बिन्दु पर एक महत्वपूर्ण साक्षी है के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि इंदलसिंह के नाम पर दिनांक 19.08.1991 को प्लॉट खरीदा गया था और उस समय उसकी उम्र 21 साल की थी। उक्त वयनामा होने के एक साल बाद इंदलसिंह की मृत्यु हुई थी। यद्यपि साक्षी इंदलसिंह की शादी दिनांक 06.06.1991 को कमलादेवी के साथ होने से इन्कार कर रहा है, किन्तु प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने ग्राम पुर की जमीन के संबंध में वादिया कमलादेवी के विरुद्ध न्यायालय में दीवानी दावा लाया था। इस सुझाव से इन्कार किया है कि उस दावे में उसने कमलादेवी वैवा इंदलसिंह निवासी ग्राम पुर लिखाया था और उसे यह मालूम न होना अभिकथित किया है कि कमलादेवी को उसी नाम व पते पर न्यायालय से तामीली जारी हुई थी। इस संबंध में वादिया के द्वारा प्र.पी. 15 जो कि वर्तमान प्रतिवादी मानसिंह के द्वारा वर्तमान वादिया कमलादेवी के विरुद्ध प्रस्तुत व्यवहारवाद क्रमांक 89ए/1997 ई0दी0 आदेश दिनांक 02.12.2000 की सत्यप्रतिलिपि है उसमें स्पष्ट रूप से कमलादेवी वैवा इंदलसिंह निवासी ग्राम पुर उसका पता लिखाया गया है। उपरोक्त दावे से संबंधित जो समंस प्र.पी. 16 का जारी किया गया है उसमें भी कमलादेवी वैवा इंदलसिंह निवासी ग्राम पुर पता का स्पष्ट रूप से उल्लेख है जो कि स्वयं वर्तमान साक्षी एवं प्रतिवादी मानसिंह के द्वारा उक्त दावा पेश किया गया है।

20. इस संबंध में प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया है कि वादिया कमलादेवी के द्वारा राजस्व दस्तावेजों में इंदलसिंह की वैवा होने के आधार पर अपने नाम का नामांतरण करा लिया था इस कारण उसके द्वारा उपरोक्त दावा जो कि पूर्व में पेश किये थे उसमें कमलादेवी के वैवा के रूप में इंदलसिंह का नाम उल्लेख कर दिया था, जबकि इंदलसिंह के साथ वादिया का कभी भी विवाह नहीं हुआ था, किन्तु प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा लिया गया उक्त आधार कि मात्र सुविधा की दृष्टि से वादिया को इंदलसिंह की पत्नी उल्लेख कर दिया था वह मानने योग्य नहीं है।

21. प्रतिवादी मानसिंह के द्वारा कंडिका 13 में यह बताया है कि कमलादेवी का नाम कभी भी उनके परिवार के सदस्यों के रूप में नहीं लिखाया गया था। आगे इस बात को स्वीकार किया है कि उसने कमलादेवी का नाम अपने परिवार की सूची से कटवाने के लिए

आवेदनपत्र दिया था। स्वतः में बताया है कि उसने जबरन अपना नाम लिखा लिया था। इस संबंध में एक तरफ प्रतिवादी कमलादेवी उसके परिवार के सदस्य के रूप में कभी नामन लिखाना बताया रहा है और दूसरी तरफ यह स्वीकार कर रहा है कि उसने परिवार के सदस्यों की साक्ष्य सूची में कमलादेवी का नाम कटवाने के लिए आवेदन दिया था जो कि परस्पर विरोधाभासी है, आधार पर भी साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। साक्षी जो कि वादिया को चन्द्रपाल के साथ विवाह हानो एवं उसकी पत्नी होना बताया है के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 16 में इस बात को स्वीकार किया है कि चन्द्रपाल उसका सगा भतीजा है और यह बताया है कि चन्द्रपाल की उम्र अभी 21 साल की है, फिर कहा कि वह 17 साल का बच्चा है। इस संबंध में एक तरफ प्रतिवादी चन्द्रपाल से वादिया का विवाह 18-19 साल पहले होना अभिकथित कर रहा है और दूसरी तरफ चन्द्रपाल की उम्र 21 साल होना बता रहा है जो कि इस संबंध में प्रतिवादी के द्वारा लिया गया आधार को प्रतिखण्डित करता है।

22. उपरोक्त बिन्दु पर प्रतिवादी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी रामशरण दीक्षित प्र. सा. 3, विष्णुदत्त शुक्ला प्र.सा. 4, श्रीमती सुनीता प्र०सा० 5 एवं अशर्फीलाल प्र.सा. 6 के कथन का इस बिन्दु पर जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण उपरांत यह स्पष्ट है कि उन्हें वादिया कमलादेवी की शादी कब हुई थी और कैसे हुई थी इस संबंध में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है और न ही उक्त साक्षीगण उसका विवाह के समय मौजूद थे। इस संबंध में प्रतिवादिया सुनीता देवी अ०सा० 5 प्रतिपरीक्षण में इंदलसिंह अथवा चन्द्रपाल को न जानना बताई है। साक्षी असर्फीलाल अ०सा० 6 भी वादिया के पति की मृत्यु हो गई है अथवा नहीं उसे जानकारी न होना बताया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथन के आधार पर प्रतिवादी पक्ष के द्वारा लिया गया आधार कि वादिया कमलादेवी का विवाह चन्द्रपाल के साथ सम्पन्न हुआ था का तथ्य किसी प्रकार से प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। इस बिन्दु पर प्रतिवादी पक्ष के द्वारा मीराबाई प्र०सा० 7 का कथन कराया गया है जिसके द्वारा कि ग्राम जमसारा के सरपंच होने के नाते वादिया के पिता प्रेमसिंह के परिवार के सदस्यों का प्रमाणीकरण प्र.डी. 5 जारी करना बताया है। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में साक्षिया स्वीकार की है कि प्रमाणीकरण स्वयं प्रतिवादिया सुनीता लिखवाकर ले आई थी तब उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कंडिका 8 में स्वीकार की है कि सुनीता जैसा प्रमाणीकरण बनवाकर लाई थी उस पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए थे। स्वतः में कहा कि वह पढ़ीलिखी नहीं है। इस संबंध में जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि सुनीता के द्वारा अपने कथन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वह इंदलसिंह और चन्द्रपालसिंह किसी को भी नहीं जानती है। ऐसी दशा में उक्त प्रमाणीकरण प्र.डी. 5 के आधार पर भी प्रतिवादी पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।



23. भारतीय समाज में साधारणतः महिलाओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह किसी दूसरे पुरुष को अपना पति मात्र इस आधार पर बताए कि वह उसकी सम्पत्ति को प्राप्त करना चाहती है। वादिया जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला है विशेषकर उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वह जबरदस्ती इंदलसिंह से उसका विवाह होने एवं उसकी विवाहिता पत्नी होना अभिकथित कर रही हो।

24. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त और इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 4 के द्वारा की गई पूर्व दावे में स्वीकारोक्ति के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होता है कि वादिया का विवाह इंदलसिंह के साथ सम्पन्न हुआ था और वादिया इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर 'हाँ' में दिया जाता है।

#### **बिन्दु क्रमांक 1, 3 व 6 :-**

25. वादिया के अभिवचन के अनुसार वादग्रस्त भूखण्ड जो कि ग्राम मुडियाखेरा तहसील व जिला भिण्ड में स्थित है जिसका कि बंदोवस्त के पूर्व का सर्वे क्रमांक 532/2 रकवा 0.502 जो कि बंदोवस्त के बाद नवीन नम्बर 496 रकवा 0.49 बना है। उक्त भूखण्ड में से 6 ½ आरे वादिया के पति इंदलसिंह के द्वारा जरिए रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र क्रय किया गया था। वादिया जो कि इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी है और इंदलसिंह की दिनांक 10.10.1992 को मृत्यु हो गई है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी वैधानिक वारिस होने के नाते वह एक मात्र वादग्रस्त भूखण्ड की स्वामिनी है। वादिया के पति की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के द्वारा अवैधानिक रूप से ग्राम पंचायत मुडियाखेरा से अपना नामांतरण करा लिया था। उपरोक्त संबंध में विभिन्न राजस्व न्यायालयों में कार्यवाही चली है जो कि वादिया के नाम पर नामांतरण का आदेश किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के द्वारा व्यवहारवाद उक्त भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं नामांतरण आदेश प्रभावहीन घोषित किये जाने बावत् राजस्व कागजातों में इन्द्राज सही कराने हेतु व्यवहार न्यायालय में पेश किया था जो कि उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से अदम पैरवी में प्रकरण निरस्त हुआ है। विवादित भूखण्ड की वह एक मात्र स्वामी और आधिपत्यधारी है जो कि उसके पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार उसे प्राप्त हुआ है। भूखण्ड जो कि कृषि भूमि रही है, धारा 164 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अधीन एक मात्र स्वामिनी वादिया ही है। वादिया के द्वारा यह भी बताया गया है कि पति की मृत्यु के बाद विवादित भूखण्ड में वाउण्डरीबाल कराकर उसके आधिपत्य में है जो कि निरंतर उसका आधिपत्य चला आ रहा है, उस पर प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 का आधिपत्य नहीं रहा है और न ही प्रतिवादी क्रमांक 2 को कोई आधिपत्य सौंपा गया है। विवादित भूखण्ड के संबंध में



प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के द्वारा वादिया को परेशान करने और उसे मुकदमेवाजी में उलझाने के उद्देश्य से प्रतिवादी क्रमांक 2 के हक में दिनांक 05.01.2007 को वयनामा निष्पादित कर दिया गया, जबकि वयनामा निष्पादित कराने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में दिनांक 12.11.2008 को बिक्रयपत्र निष्पादित किया गया है। उक्त बिक्रयपत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को भी कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हुआ है जो कि उपरोक्त वयनामा अधिकार स्वत्व विहीन होने से और न्यायालय में चल रहे प्रकरणों के दौरान वयनामा निष्पादित कराये जाने के कारण वयनामा शून्य एवं प्रभावहीन है।

26. उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के द्वारा अपने अभिवचन में यह बताया गया है कि इंदलसिंह का विवाह नहीं हुआ था। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी माँ एवं पिता मौजूद थे जो कि उसके वारिस हुए और विधिवत उने नाम पर नामांतरण हुआ है। बिक्रयपत्र निष्पादित कराने का प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 को पूर्ण अधिकार प्राप्त था और उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 2 को विधिवत सम्पत्ति का बिक्रय किया है और प्रतिवादी क्रमांक 2 को वैध स्वत्व प्राप्त होना और प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में बिक्रयपत्र किया गया जो कि उस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 काबिज है। उक्त भूखण्ड पर प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 को इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् कब्जा प्राप्त हुआ जो कि बिक्रयपत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 2 को कब्जा सौंपा और प्रतिवादी क्रमांक 2 ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को बिक्रयपत्र निष्पादित कर कब्जा सौंप दिया गया है जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 काबिज है और इसी प्रकार का अभिवचन प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के द्वारा किया गया है और बिक्रयपत्र दिनांक 05.01.2007 एवं 12.11.2008 विधिवत निष्पादित होना बताया है।

27. यह अविवादित है कि वादग्रस्त प्लॉट जिसका कि पूर्व में क्रमांक 532/2 एवं बंदोवस्त के बाद नवीन नम्बर 496 है उसमें से 6½ आरे इंदलसिंह के द्वारा कय किया गया था। इंदलसिंह की मृत्यु दिनांक 10.10.1992 को हो चुकी है जो कि इस संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र प्र.पी. 14 से स्पष्ट होता है। इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भू-खण्ड के संबंध में पक्षकारों के मध्य विवाद चला है। उक्त भूखण्ड को प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में दिनांक 05.01.2007 को बिक्रयपत्र निष्पादित किया गया तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में दिनांक 12.11.2008 को बिक्रयपत्र निष्पादित किया गया है जो कि इस संबंध में सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 1सी एवं प्र.पी. 2सी से स्पष्ट होता है।

28. वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा नम्बर 496 रकवा 0.49 हे० पुराने खसरा न० 532/2 जो कि ग्राम मुडियाखेरा तहसील भिण्ड में स्थित है का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त भूमि

इंदलसिंह के द्वारा क्रय की जानी और उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की होनी अविवादित है। इंदलसिंह के द्वारा उसे खरीदने के संबंध में प्रस्तुत बिक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि जो कि प्रतिवादी के द्वारा पेश की गई उससे इंदलसिंह के द्वारा उक्त सम्पत्ति क्रय करना स्पष्ट होता है। इंदलसिंह की मृत्यु दिनांक 10.10.1992 में हो चुकी है जो कि इस संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र प्र.पी. 14 से स्पष्ट है। पूर्ववर्ती वादप्रश्नों पर निकाले गए निष्कर्ष से यह प्रमाणित है कि वादिया कमलादेवी इंदलसिंह की पत्नी है तथा इंदलसिंह के अन्य वारिसों में जो कि उसकी मृत्यु के समय जीवित थे प्रतिवादी क्रमांक 3 महादेवी जो कि इंदलसिंह की माँ है तथा प्रतिवादी क्रमांक 4 मानसिंह जो कि मृतक का पिता होना स्पष्ट होता है।

29. इंदलसिंह की मृत्यु पश्चात् उसकी सम्पत्ति जो कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार कृषि भूमि के रूप में है उस पर उसकी मृत्यु के पश्चात् हक एवं आधिपत्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर वादिया के द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमियों पर उसका अकेले उत्तराधिकार के आधार पर स्वत्व निहित होना बताया है। इस बिन्दु पर वादिया अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि धारा 164 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि पर पति की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी का एक मात्र उत्तराधिकार के आधार पर स्वत्व होगा। इस संबंध में धारा 164 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का हावाला देते हुए वादी अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया गया है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मात्र वादिया को सम्पूर्ण भूमि पर हक एवं आधिपत्य प्राप्त होगा।

30. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। इस संबंध में वैधानिक स्थिति पर भी विचार किया गया। जहाँ तक धारा 164 म.प्र. भू राजस्व संहिता का प्रश्न है, उक्त धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि – “भू-स्वामी का हित उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी स्वीय विधि के अध्याधीन रहते हुए यथास्थिति विरासत, उत्तरजीविता या वारिस, वसीयत द्वारा सक्रांत होगा।” इस संबंध में वादिया के द्वारा जो आधार लिया गया है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि म.प्र. संशोधन अधिनियम 1961 के पूर्व की स्थिति इस संबंध में दूसरी थी जो कि संशोधन के द्वारा धारा 164 में संशोधन किया गया है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1961 के संशोधन के उपरांत जो कि 08 दिसम्बर, 1961 से लागू हुआ है के पश्चात् भू-स्वामी के हित का उसकी मृत्यु के पश्चात् अंतरण उसकी स्वीय विधि के अनुसार होगा। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, इंदलसिंह की मृत्यु सन् 1992 में हुई है, जैसा कि पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है। इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का न्यागमन उसकी स्वीय विधि अर्थात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत होगा।

31. इस संबंध में पक्षकारों के स्वीय विधि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति का उत्तराधिकार के

न्यागमन (Devolution) की व्यवस्था की गई है। उक्त धारा के अनुसार— निर्वसीयत (Intestate) मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी— (क) प्रथमतः, उन वारिसों (Heirs) को, जो अनुसूची के वर्ग-1 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं ; (ख) द्वितीयतः यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं; (ग) तृतीयतः यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को, तथा (घ) अन्ततः यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बंधुओं को।

32. धारा 9 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार— अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों में के वर्ग 1 में के वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों को अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे; वर्ग 2 में की पहली प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरे प्रतिष्ठि मकें के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा; दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों को तीसरी प्रतिष्ठि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इसी प्रकार आगे क्रम से अधिमान प्राप्त होगा।

33. धारा 10 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची वर्ग 1 के वारिसों में सम्पत्ति के वितरण के संबंध में प्रावधान किया गया है जो कि नियम एक के अनुसार निर्वसीयती के विधवा को या एक से अधिक विधवाएँ हो तो सब विधवाओं को मिलकर एक अंश मिलेगा, नियम 2 के अनुसार निर्वसीयती के उत्तरजीवी पुत्र-पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा।

34. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सङ्कल्य (धारा 8 के संबंध में) वर्ग 1 के वारिसों में मृतक की विधवा पत्नी और उसकी माँ दोनों आती हैं, जबकि मृतक का पिता वर्ग 2 के वारिसों में आता है। उपर्युक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि यदि वर्ग 1 का वारिस जीवित है तो उन्हें मृतक की सम्पत्ति में बराबर-बराबर हिस्सा उत्तराधिकार के रूप में हक प्राप्त होगा और इस स्थिति में वर्ग 2 के वारिसों को कोई हक प्राप्त नहीं होगा। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में मृतक इंदलसिंह की प्रथम वर्ग के वारिस उसकी विधवा पत्नी वादिया कमलादेवी एवं माँ महादेवी होगी, जबकि पिता मानसिंह द्वितीय श्रेणी का वारिस है। मृतक इंदलसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण वादिया एवं प्रतिवादिया क्रमांक 3 महादेवी उसकी सम्पत्ति का बराबर बराबर अर्थात्  $1/2 - 1/2$  भाग पर उत्तराधिकार के आधार पर स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होना पाया जाता है। जबकि वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक 4 मानसिंह जो कि द्वितीय श्रेणी का वारिस है उसे इंदलसिंह की सम्पत्ति पर कोई हक या आधिपत्य उसकी मृत्यु के पश्चात् उत्तरजीविता के आधार पर प्राप्त नहीं होगा और उस पर प्रतिवादी क्रमांक 4 का कोई स्वत्व व आधिपत्य निहित होना नहीं पाया जाता है।



35. इस संबंध में यदि तर्क के लिए जैसा कि प्रतिवादी पक्ष के द्वारा यह व्यक्त किया गया है, यह मान भी लिया जाए कि वादिया कमलादेवी के द्वारा अपने विवाहित पति इंदलसिंह की मृत्यु (जो कि विवाह के कुछ समय पश्चात् उसके पति की मृत्यु हो गई थी) के पश्चात् जातिगत रीति रिवाजों के अनुसार चन्द्रपाल के साथ रहने लगी थी अथवा उसके साथ पुनर्विवाह कर लिया गया और उनकी संतानें भी उत्पन्न हुई तो भी वादिया का वादग्रस्त भूमि पर हक किसी प्रकार से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वादग्रस्त सम्पत्ति उसके पति इंदलसिंह की थी। इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् वर्ग-1 की वारिस होने के नाते उसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के नाते उसके हिस्से के अनुसार उत्तराधिकार प्राप्त होगा जो कि धारा 15(1) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत वादिया उसको उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी।

36. उभय पक्षकारों के द्वारा राजस्व अभिलेखों में उनका नामांतरण होने और उनका नाम दर्ज होने के संबंध में बताया है। जहाँ तक राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज व नामांतरण आदि की कार्यवाही का प्रश्न है, इस संबंध में पक्षकारों के मध्य राजस्व न्यायालय में पूर्व में कई प्रकरण चले हैं और कई कार्यवाहियाँ हुई हैं, जिसमें कि अलग अलग समय पर दोनों पक्षों के नाम दर्ज होना परिलक्षित होते हैं और इस संबंध में अपील राजस्व न्यायालय में अपील व रिमाण्ड की कार्यवाही बार बार प्रचलनशील रही है। राजस्व अभिलेखों में नामांतरण होने और नाम दर्ज होने की कार्यवाहियों का जहाँ तक प्रश्न है, राजस्व अभिलेखों में नामांतरण होने के आधार पर किसी पक्षकार के स्वत्व हक के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और न ही नामांतरण एवं राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त होना और न ही किसी का स्वत्व इस आधार पर समाप्त होता है। इस बिन्दु पर **2015(3) एस0.सी.सी.डी. 1149 (एस.सी.) एच.लक्ष्मय्या रेड्डी एवं अन्य वि0 एल.वेंकटेश रेड्डी** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि नामांतरण के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही एवं आधार पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने से स्वत्व या आधिपत्य प्राप्त होने का अथवा किसी के हक समाप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं हो सकता है। राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही और उसके आधार पर प्रविष्टि केवल भू-राजस्व के संग्रह के लिए सुसंगत होती है। इस बिन्दु पर **श्रीमती दक्खोबाई बगैरह वि0 केशरीचंद 1992 जे.एल.जे. 10** में माननीय न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि केवल पेंसिल इन्ट्री होती है इसके आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वत्व की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।



37. वादग्रस्त सम्पत्ति पर आधिपत्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में वादिया के द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य होना बताया है, जिस बिन्दु पर वादिया ने स्वयं व अन्य साक्षियों के कथन कराए हैं। जबकि प्रतिवादी पक्ष ने वादग्रस्त सम्पत्ति पर वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 1 सुनीता का आधिपत्य होना बताते हुए तत्संबंध में बिक्रयपत्र व अन्य साक्ष्य पेश करते हुए उस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का आधिपत्य होना बताया है।

38. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं निकाले गए निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादिया एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 महादेवी का स्वत्व एवं आधिपत्य निहित रहा एवं दोनों ही उसके संयुक्त स्वामी रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक 3 महादेवी के द्वारा अपना स्वत्व बिक्रयपत्र दिनांक 05.01.2007 के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 2 को अंतरित किया गया है जो कि प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा दिनांक 12.11.2008 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में बिक्रयपत्र निष्पादित किया गया है। वादग्रस्त सम्पत्ति का कोई बटवारा वादिया अथवा प्रतिवादी क्रमांक 3 के मध्य नहीं हुआ है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादिया एवं प्रतिवादिया क्रमांक 3 के संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य की थी जो प्रतिवादिया क्रमांक 3 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि को जरिए बिक्रयपत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 को अंतरित किया गया है और प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को अपना स्वत्व एवं आधिपत्य अंतरित किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 1 का उस पर वर्तमान में वादिया के साथ संयुक्त आधिपत्य में होना पाया जाता है। प्रतिवादी क्रमांक 3 अथवा प्रतिवादी क्रमांक 1 को उक्त भूमि के आधिपत्य से कभी भी आधिपत्य विहीन किया गया हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी दशा में वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादिया का एक मात्र आधिपत्य होना नहीं पाया जाता है, बल्कि उस पर वर्तमान प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ उसका संयुक्त आधिपत्य निहित होना पाया जाता है।

39. वादग्रस्त सम्पत्तियों पर वादिया एवं प्रतिवादिया क्रमांक 3 का समान भाग पर हक व आधिपत्य निहित रहा था। उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादिया क्रमांक 3 महादेवी व प्रतिवादिया क्रमांक 4 मानसिंह के द्वारा दिनांक 05.01.2007 को रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र प्र.पी. 1 का निष्पादित किया गया है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में दिनांक 05.01.2007 को बिक्रयपत्र निष्पादित किया गया है तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र दिनांक 12.11.2008 को निष्पादित किया गया है। वादिया ने उक्त दोनों बिक्रयपत्र को 'नल एण्ड वॉयड' करने की सहायता चाही गई है।

40. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर अकेले वादी को सम्पूर्ण भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य प्राप्त नहीं है, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 3 महादेवी को भी

उस पर 1/2 भाग पर हक व आधिपत्य प्राप्त हुआ था। बिक्रयपत्र प्र.पी. 1 जो कि मानसिंह एवं महादेवी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया है। उक्त बिक्रयपत्र निष्पादित किये जाने के अधिकार का जहाँ तक प्रश्न है, यद्यपि उक्त बिक्रयपत्र निष्पादित करने हेतु मानसिंह को कोई अधिकार नहीं था, किन्तु प्रतिवादिया महादेवी जिसे कि उक्त भूमि पर 1/2 भाग पर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त था उसके द्वारा भी बिक्रयपत्र निष्पादित किया गया है। उक्त बिक्रयपत्र के आधार पर उसके क्रेता प्रतिवादी क्रमांक 2 को 1/2 भाग पर हक व अधिकार प्राप्त होना पाया जाता है और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा प्रतिवादिया क्रमांक 1 के पक्ष में जो बिक्रयपत्र निष्पादित किया गया है उसमें भी केवल 1/2 भाग पर की सीमा तक बिक्रय करने का जिस पर कि प्रतिवादी क्रमांक 2 को हक प्राप्त होता है, उसे अधिकार होना पाया जात है। इस प्रकार बिक्रयपत्र दिनांक 05.01.2007 व दिनांक 12.11.2008 के संबंध में यह पाया जाता है कि उक्त बिक्रयपत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 जिसे कि 1/2 भाग पर हक एवं अधिकार निहित थे उसका उसकी सीमा तक बिक्रयपत्र वैध है, जबकि शेष 1/2 भाग के संबंध में बिक्रयपत्र करने का मानसिंह को कोई अधिकार न होने से 1/2 भाग की सीमा तक बिक्रयपत्र वादिया के स्वत्व के विपरीत होने से शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किये जाने योग्य है।

41. तदनुसार वादप्रश्न 1 के संबंध में निराकरण करते हुए वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर वादिनी को भूस्वामिनी होने का निष्कर्ष दिया जाता है। वाद प्रश्न क्रमांक 3 के संबंध में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादिनी प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ विवादित भूमि के संयुक्त आधिपत्य में है। वादप्रश्न क्रमांक 6 के संबंध में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में दिनांक 05.01.2007 एवं दिनांक 12.11.2008 के पंजीकृत बिक्रयपत्र वादिया के स्वत्व जो कि 1/2 भाग पर है के विपरीत होने से 1/2 भाग की सीमा तक उक्त दोनों बिक्रयपत्र शून्य एवं प्रभावहीन है।

### **बिन्दु क्रमांक 7:-**

42. प्रकरण में पूर्ववर्ती वादप्रश्नों पर की गई विवेचना एवं निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्तियों पर वादिया का अकेला स्वत्व आधिपत्य निहित होना नहीं पाया गया है, बल्कि उसका वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ 1/2 भाग पर संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होना पाया गया है। विवादित भूमि का कोई बटवारा पक्षकारों के मध्य हुआ हो ऐसा भी कहीं नहीं पाया जाता है। ऐसी दशा में जबकि वादग्रस्त भूमि पर वादिया का प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ संयुक्त स्वत्व आधिपत्य निहित है। संयुक्त स्वत्व व आधिपत्य के मामलों में एक सहस्वामी के पक्ष में और दूसरे सहस्वामी के विरुद्ध सम्पत्ति के आधिपत्य के

उपभोग और भोग में उपभोग को रोकने के लिए ब्यादेश नहीं दिया जा सकता है। उक्त विवादित सम्पत्ति पर वादिया के स्वत्व एवं आधिपत्य पर अन्य प्रतिवादीगण के द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जा रहा हो अथवा उसे किसी प्रकार की धमकी दी जा रही हो ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वादिया वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में प्रतिवादीगणों के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं पाई जाती है। वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

#### **बिन्दु क्रमांक 4:-**

43. प्रतिवादी पक्ष के द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि वादिया के द्वारा दावे में आधिपत्य बापस दिलाए जाने की कोई सहायता नहीं चाही गई है, उसके द्वारा केवल स्वत्व घोषणा की याचना की गई है। ऐसी दशा में आधिपत्य की सहायता के बिना केवल स्वत्व की घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं है।

44. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वादिया के द्वारा वर्तमान व्यवहारवाद उसके पति की सम्पत्ति पर उनकी मृत्यु के पश्चात् उसे उत्तराधिकार के आधार पर स्वत्व प्राप्त होना एवं विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा निष्पादित किए गए रजिस्टर्ड बिक्रयपत्रों को नल एण्ड वॉइड घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा अन्य सहायता बावत् पेश किया गया है। पूर्ववर्ती विवेचना एवं वादप्रश्नों पर निकाले गए निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादिया वादग्रस्त सम्पत्ति की सहस्वामिनी एवं आधिपत्य धारिणी है। इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादिया का आधिपत्य होना पाया गया है, जैसा कि वादिया के द्वारा अपने दावे में भी आधार लिया गया है। ऐसी दशा में वादिया को आधिपत्य बापस दिलाए जाने हेतु सहायता की मांग करना आवश्यक नहीं थी। वादिया का दावा प्रचलन योग्य होना पाते हुए तदनुसार वर्तमान वाद बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

#### **बिन्दु क्रमांक 8:-**

45. प्रकरण में उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर तथा वादप्रश्नों पर निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर वादिया के द्वारा प्रस्तुत दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है-

- (अ) ग्राम मुडियाखेडा तहसील व जिला भिण्ड में स्थित भूमि क्रमांक 532/2 जिसका नवीन क्रमांक 496 रकबा 0.49 में  $6\frac{1}{2}$  आरे के  $1/2$  भाग पर वादिया को स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जाता है।
- (ब) प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के द्वारा प्रतिवादी क्र. 2 के हक में निष्पादित बिक्रयपत्र दिनांक 05.01.2007 एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में निष्पादित बिक्रयपत्र दिनांक 12.11.2008 पर वादिया का  $1/2$  भाग पर स्वत्व निहित होने के

कारण उसके स्वत्व की सीमा तक 1/2 भाग तक वादिया के मुकावले नल एवं वॉइड घोषित किये जाते है।

- (स) प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।  
 (द) अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर प्रमाणपत्र के अनुसार अथवा जो भी कम हो देय हो।

तदनुसार डिक्री पारित की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
 हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
 अपर जिला न्यायाधीश  
 गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
 अपर जिला न्यायाधीश  
 गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
 (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)